## BUREAU OF INDIAN STANDARDS (Faridabad Branch Office)

Our Ref: FRBO/ A-95001032

14 08 2020

Subject: All India First Application as per IS 9436:2018

FRBO has received an application under normal procedure for grant of licence to use of BIS Standard Mark on the product Performance requirements and methods of test for wheels for passenger cars, quadricycles and mini goods carriers as per IS 9436:2018.

As per the information obtained from BIS website, circulars of CMD's to ROs/BOs, the following are observed:

- 1. As on date, no BIS licence exists for the above mentioned product.
- 2. Marking fee, STI & grouping guidelines are not available for the product.
- 3. No test facility exists at BIS laboratory or any BIS approved lab.

PNBO had already received an application for the above product. If there is any latest information, CMD-2 is requested to provide us with relevant grouping guidelines, STI, Marking fee, if any prevailing for this product.

Therefore, this application may be considered to be all India First Application for the above product.

All ROs and BOs are requested to send information regarding the above product by return mail/e-mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be helpful to process the application.

Labs are requested to provide any detail regarding availability of the testing facilities & testing charges as per IS 9436:2018.

LPPD is also requested to provide any directives in this regard.

(A.K. Popli) Sc.D, FRBO

Sc.F & Head (FRBO)

DDGC/ Head (CMD-3)/Head (LPPD)/Head ROs/Head BOs

ITSD - for circulation on intranet.

## भारतीय मानक ब्यूरो फरीदाबाद शाखा कार्यालय

हमारा संदर्भ एफआरबीओ/ए-95001032

14 08 2020

विषय : आई एस 9436:2018 के अनुसार ऑल इंडिया फस्ट एप्लीकेशन

एफआरबीओ ने आई एस 9436: 2018 के अनुसार यात्री कारों, क्वाड्रिसाइकिलों और मिनी माल वाहक के पिहयों के लिए उत्पाद प्रदर्शन आवश्यकताओं और परीक्षण के तरीकों पर बीआईएस स्टैंडर्ड मार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने के लिए सामान्य प्रक्रिया के तहत एक आवेदन प्राप्त किया है। बीआईएस वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीएमडी के आरओ / बीओ के परिपत्र, निम्नलिखित देखे गए हैं:

- 1. तिथि के अनुसार, उपरोक्त उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
- 2. उत्पाद के लिए अंकन शुल्क, एसटीआई और समूहीकरण दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं।
- 3. बीआईएस प्रयोगशाला या किसी बीआईएस अनुमोदित प्रयोगशाला में कोई परीक्षण सुविधा मौजूद नहीं है। पीएनबीओ को पहले ही उपरोक्त उत्पाद के लिए एक आवेदन मिला था। यदि कोई नवीनतम जानकारी है, तो सीएमडी -2 से अनुरोध किया जाता है कि वह हमें इस उत्पाद के लिए प्रचलित संबंधित दिशानिर्देश, एसटीआई, मार्किंग शुल्क प्रदान करें।

इसलिए, इस एप्लिकेशन को उपरोक्त उत्पाद के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट एप्लीकेशन माना जा सकता है। सीएमडी -3 से अनुरोध है कि यदि इस उत्पाद के लिए कोई प्रासंगिक समूह दिशानिर्देश, एसटीआई, मार्किंग शुल्क है प्रदान करें।

सभी आरओ और बीओ से अनुरोध है कि उपरोक्त उत्पाद के बारे में जानकारी मेल / ई-मेल द्वारा अपने अंतिम छोर पर लंबित किसी भी आवेदन या किसी अन्य सूचना के संबंध में भेजें, जो आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो।

प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि वे परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में पूर्ण परीक्षण शुल्क आईएस 9436:2018 के अनुसार प्रदान करें।

एलपीपीडी से भी इस संबंध में कोई निर्देश देने का अनुरोध किया जाता है।

भित्र स्पार्टी (ए0 के0 पोपली) वैज्ञानिक डी

वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख (एफआरबीओ)

उपमहानिदेशक (मध्य)/ प्रमुख (सीएमडी-3)/ प्रमुख (एलपीपीडी)/ प्रमुख(क्षेत्रीय कार्यालय)/ प्रमुख (शाखा कार्यालय)

प्रमुख (आईटीएसडी) - इस परिपत्र को बीआईएस वेबसाइट पर होस्ट करने के अनुरोध के साथ